The National Sports Governance Bill, 2025 And National Anti-Doping (Amendment) Bill, 2025 ? Passed

श्रम और रोजगार मंत्री तथा युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (डॉ. मनसुख मांडविया): सभापति महोदया, मैं निम्नलिखित प्रस्तावों को प्रस्तुत करता हूं:

?कि खेलों के विकास और संवर्धन, खिलाड़ियों के लिए कल्याणकारी उपायों, सुशासन के बुनियादी सार्वभौमिक सिद्धांतों, ओलंपिक और खेल संचलन की नैतिकता और निष्पक्षता, ओलंपिक चार्टर, पैरालिंपिक चार्टर, अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं और स्थापित विधिक मानकों का उपबंध करने और एक एकीकृत, साम्यपूर्ण और प्रभावी रीति से खेल शिकायतों और खेल विवादों के समाधान का उपबंध करने और उससे संबंद्ध या उसके आनुषंगिक मामलों वाले विधेयक पर विचार किया जाए।?

और

?कि राष्ट्रीय डोपिंग रोधी अधिनियम, 2022 का संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।?

माननीय सभापति महोदया, आज मैं महत्वपूर्ण बिल नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल और इसके साथ ही नेशनल एंटी डोपिंग (अमेंडमेंट) बिल पर अपना विषय रखना चाहूंगा।

सभापति महोदया, स्पोर्ट्स बिल एक महत्वपूर्ण बिल है। मोदी जी ने स्पोर्ट्स सैक्टर में जो रिफॉर्म किया है, वह रिफॉर्म्स के सीक्वेंस का एक पार्ट है। वैसे भी स्पोर्ट्स हमारे देश के लिए कोई नया विषय नहीं है। स्पोर्ट्स इस देश में सदियों से प्रचलित है। आज देश में 65 परसेंट पॉपुलेशन बिलो 35 है। आज यूथ हमारी स्ट्रेंग्थ है, यूथ हमारी शक्ति है। हमारा यूथ स्पोर्ट्स सैक्टर में बेस्ट परफॉर्मेंस करें, अपने स्पोर्ट्स के स्किल के आधार पर देश और इंटरनेनशल लेवल पर मेडल्स अर्जित करें। हमारे देश के युवाओं में यह क्षमता है कि वे हमारे देश के तिरंगे का गौरव बढ़ाएं।

सभापति महोदया, सदियों पहले देश में युद्ध के रूप में भी स्पोर्ट्स प्रचलित था। हमारे देश में गद्दा युद्ध, मल्ल युद्ध और आर्चरी यानी धनुर्विद्या प्रचलित थी और इन सब विषयों में हमारी पारंगतता थी, लेकिन बाद में ये धीरे-धीरे उपेक्षित होती रहीं। आजादी के बाद स्पोर्ट्स सैक्टर पर जितना ध्यान देना चाहिए था, उतना ध्यान नहीं दिया गया। हमारा इतना बड़ा देश है, लेकिन आलंपिक गेम्स में या इंटरनेशनल टूर्नामेंट के प्लेटफॉर्म्स पर हम अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर पाए।

सभापति महोदया, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने वर्ष 2014 से स्पोर्ट्स सेक्टर में रिफॉर्म्स चालू किये। यह बदलाव के सीक्वेंस का एक पार्ट नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल है। प्रधानमंत्री जी ने देश में स्पोर्ट्स के लिए एक इको सिस्टम तैयार किया है। इसके लिए ?खेलो इंडिया? की मूवमेंट चालू की गई, ?फिट इंडिया? की मूवमेंट चालू की गई। आज देश में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक हजार से अधिक यानी एक डिस्ट्रिक्ट में एक से अधिक स्थानों पर ?खेलो इंडिया? सेंटर खुला हुआ है। वहां युवाओं को ट्रेनिंग मिल रही है। वहां एथलीट को ट्रेनिंग दी जा रही है। आज हमारे एथलीट अच्छी तरह से परफॉर्मेंस करके आगे बढ़ रहे हैं। हमारा जो खिलाड़ी स्पोर्ट्स में अच्छा परफॉर्म करता है, उसके लिए खर्च की

व्यवस्था की जाती है। हमारे खिलाड़ियों को अच्छी ट्रेनिंग मिले, उनको नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर खेलने की ऑप्र्चुनिटी मिले, उनको अच्छे कोच मिले, उनको अच्छा एक्स्पोजर मिले, इसके लिए टारगेटेड ओलंपिक पोडियम स्कीम की भी व्यवस्था की गई है, ताकि हम अच्छे से अच्छे स्पोर्ट्समैन तैयार कर सकें।

सभापति महोदया, इसी सीक्वेंस का एक तीसरा पार्ट ?खेलो भारत नीति? है। लास्ट एक महीना पहले आपने देखा होगा कि ?खेलो भारत नीति? लॉन्च की गई और कैबिनेट ने उसे पारित किया। सारे देश में स्पोर्ट्स फ्रेटरनिटी से जुड़े हुए लोगों ने उसकी प्रशंसा की। ?खेलो भारत नीति? के तहत हम आगामी 25 सालों में आगे बढ़ेंगे। आज हम विकसित भारत बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले 25 सालों में हमारे देश को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा, स्पोर्ट्स साइंस को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा, मेडल टैली को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा, उसके लिए इको सिस्टम कैसी होगी, इस विषय पर एक विजन डॉक्यूमेंट के रूप में ?खेलो भारत नीति? की आज पूरे देश में सराहना हो रही है। इसी सीक्वेंस का एक पार्ट स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल है। स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल के लिए कई बार प्रयास किये गये। इसके लिए भूत काल में भी प्रयास हुआ और अभी वर्तमान समय में भी प्रयास जारी है। मोदी जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि हमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का वर्ल्ड क्लास बेस्ट एक्सीलेंस के साथ तैयारी करनी चाहिए। भारत आने वाले दिनों में ओलंपिक के लिए बिड करने जा रहा है। ऐसी स्थिति में भारत में स्पोर्ट्स इको सिस्टम रोबस्ट हो, दुरुस्त हो, पारदर्शी हो, एकाउंटबिलिटी वाली हो, उस दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है।

जब ओलंपिक्स की बात आती है, स्पोर्ट्स की बात आती है, तब इंटरनेशनल सैक्टर भी उसके साथ जुड़ जाता है। ओलंपिक काउंसिल भी उसके साथ जुड़ जाती है। ओलंपिक चार्टर के मुताबिक देश में भी हमारी रीति-नीति कार्य प्रणाली बने, यह बहुत आवश्यक होता है। इसलिए ओलंपिक चार्टर को एलाइन करना भी हमारे लिए जरूरी होता है। उसके लिए भूतकाल में भी कई बार प्रयास किए, लेकिन सफल नहीं हुए। वर्ष 1975 में पहली बार देश में एक गाइडलाइन तैयार की गई। इस गाइडलाइन के मुताबिक देश में स्पोर्ट्स का गवर्नेंस कराया जाए। वर्ष 1985 में पहली बार स्पोर्ट्स के बिल के लिए ड्राफ्ट तैयार किया गया था, लेकिन इस देश में स्पोर्ट्स को भी पॉलिटिक्स का क्षेत्र चुन लिया है। वह पॉलिटिक्स का हिस्सा बनता गया। कई लोगों का उसमें हित शामिल था। मेरे जैसा कोई मंत्री प्रयास करता था, लेकिन वह मंत्री स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल को लेकर आगे नहीं आ पाता था। वर्ष 1985 में पहला ड्राफ्ट तैयार किया गया। वर्ष 2011 में एक स्पोर्ट्स कोड बनाया गया, बिल नहीं आया। इस स्पोर्ट्स कोर्ड के बाद वर्ष 2011 में फिर से एक बार ड्राफ्ट स्पोर्ट्स बिल तैयार कराया गया, जो वर्ष 2011 में कैबिनेट तक पहुँचा था। लेकिन कैबिनेट तक पहुँचे उसके पहले ही उसके ऊपर डिबेट हो गई, इंटरनल डिबेट हो गई और उस वक्त की सरकार उसको कैबिनेट में भी नहीं ला पाई थी। वर्ष 2013 में अजय माकन जी स्पोर्ट्स मिनिस्टर हुआ करते थे। उन्होंने प्रयास किया, मेहनत की, डिबेट की, डिस्कशन की और उन्होंने समझा कि कैसे भी करके हमें स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल लाना चाहिए। स्पोर्ट्स के लिए, स्पोर्टस पर्सन के हित में, स्पोर्ट्स फेडरेशन के हित में बिल लाना चाहिए ताकि अच्छी तरह से गवर्नमेंट, फेडरेशन, एथलीट्स आदि सब साथ में मिलकर देश में स्पोर्ट्स इको सिस्टम को तैयार कर सकें। इस उद्देश्य के साथ उन्होंने प्रयास किया। कैबिनेट तक आया, कैबिनेट में डिस्कशन हुआ, लेकिन डिस्कशन होने के बाद वहां से डैफर हो गया, वह पार्लियामेंट तक नहीं पहुंच पाया था।

मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि वर्तमान समय में मोदी गवर्नमेंट है। मोदी जी की इच्छाशक्ति के आधार पर, मोदी जी ने तय किया कि रिफॉर्म्स सीक्वेन्स में आने चाहिए। स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल के बाद दस साल तक देश के स्पोर्ट्स का विज़न और वर्ष 2047 यानी दस साल तक हमें दुनिया में दसवें क्रम तक स्पोर्ट्स सैक्टर में पहुँचना है। आने वाले 25 साल यानी कि जब देश आजादी का शताब्दी वर्ष मना रहा होगा, तब हमें दुनिया में एक से पाचवें क्रम में होना है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सीक्वेंस रिफॉर्म्स के पार्ट के रूप में यह बिल आज आपके सामने लाया गया है। वर्तमान समय में जो स्थिति पैदा हुई है, आज छोटे-छोटे विषय के लिए गुड गवर्नेंस का प्रयास किया जाता है, लेकिन मैटर कोर्ट तक चला जाता है। देश में 350 से अधिक मामले कोर्ट में पड़े हुए हैं। स्पोर्ट्स फेडरेशन के इलेक्शन में स्पोर्ट्स फेडरेशन की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता का अभाव है और कई ऐसे विषय हैं, जो छोटी-छोटी बात में स्पोर्ट्स के हित को प्रायोरिटी में रखने के बजाय अपने हितों को आगे करते हैं, स्पोर्ट्स पीछे छूट जाता है और मैडल टैली में हम पीछे रह जाते हैं। हमारे एथलीट्स, हमारी महिला एथलीट्स को अच्छी तरह से, पारदर्शिता के साथ काम्प्टीशन में पार्टिसिपेशन करने का अवसर मिले। उस जगह पर उनको परेशानी न हो। हमारी महिलाओं को भी फेडरेशन में भी प्रतिनिधित्व मिले ताकि फेडरेशन में किसी महिला एथलीट को कोई दिक्कत हो तो उसकी सुनवाई करने वाली भी हमारी इसी फेडरेशन की एथिक्स कमेटी में बैठने वाली महिला हो। यह करना बहुत आवश्यक था। यह बिल जब हमने तैयार किया, तब हमने डिटेल्ड डिस्कशन किया। हमने यह डिस्कशन सारे फेडरेशन के साथ किया। हमने डिस्कशन सभी राज्यों के स्पोर्ट्स मिनिस्टर्स के साथ किया। जब हम बिल तैयार कर रहे थे, एक साल तक लंबा डिस्कशन हुआ। हमने एथलीट्स के साथ बैठकर इस पर डिस्कशन किया। हमने देश के कोच, जो रिनाउंड कोच हैं, उनके साथ मीटिंग की, उनके साथ भी डिस्कशन किया।

इंटरनेशनल ओलंपिक्स काउंसिल के साथ अलाइन, उसके चार्टर को फॉलो करना था। उसके साथ भी हमने बहुत डिस्कशन किया। इंटरनेशन फेडरेशन के साथ भी हमने डिस्कशन किया। अंत में, मैंने तीन-साढ़े तीन घंटों तक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में स्पोर्ट्स प्रैक्टिस करने वाले लॉयर्स के साथ भी डिस्कशन और डिबेट किया। उसके बाद इस बिल को पब्लिक कंसल्टेशन के लिए भी रखा गया।

पब्लिक कंसल्टेशन के दरम्यान छह सौ से अधिक कमेंट्स आए। इन कमेंट्स का भी हमने अध्ययन किया। यह सारी डिबेट और डिस्कशन कर के एक रोबस्ट बिल, जो एथलीट के हित में हो, फेडरेशन के हित में हो, पारदर्शिता के हित में हो, लाया गया है। इसके माध्यम से फेडरेशन की स्वायत्ता बनी रहे, गुड गवर्नेंस हो, उस उद्देश्य के साथ यह बिल आज सदन के सामने मैं लाया हूँ।

सभापति जी, उसके अलावा आज नेशनल एंटी-डोपिंग बिल भी लाया जा रहा है। देश में हम एक अच्छी स्पोर्ट्स कंट्री के रूप में आगे बढ़ रहे हैं, तब इंटरनेशनल एजेंसीज़, यानी कि वर्ल्ड डोपिंग एजेंसी के सिग्नेटरी होने के नाते, इसके माध्यम से, उसके साथ एलाइन करना आवश्यक होता है। समय बदलता है, परिस्थिति बदलती है, विषय बदलता है। समय, परिस्थिति और विषयों के साथ जब वर्ल्ड एंटी-डोपिंग एजेंसी नए-नए नियम बनाती है, उसको एलाइन करना आवश्यक होता है। एलाइन करने के लिए हम नेशनल एंटी-डोपिंग बिल में अमेंडमेंट भी ले कर आए हैं। दोनों बिलों पर सदन विचार करे और उसको पारित करे, यही अपेक्षा है।

महोदया, मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि आप सम्मानित सदस्यों के सामने यह विषय रखें।

माननीय सभापति : प्रस्ताव प्रस्तुत हुए:

?कि खेलों के विकास और संवर्धन, खिलाड़ियों के लिए कल्याणकारी उपायों, सुशासन के बुनियादी सार्वभौमिक सिद्धांतों, ओलंपिक और खेल संचलन की नैतिकता और निष्पक्षता, ओलंपिक चार्टर, पैरालिंपिक चार्टर, अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं और स्थापित विधिक मानकों का उपबंध करने और एक एकीकृत, साम्यपूर्ण और प्रभावी रीति से खेल शिकायतों और खेल विवादों के समाधान का उपबंध करने और उससे संबंद्ध या उसके आनुषंगिक मामलों वाले विधेयक पर विचार किया जाए।?

और

?कि राष्ट्रीय डोपिंग रोधी अधिनियम, 2022 का संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।?

SHRI KESINENI SIVANATH (VIJAYAWADA): Thank You Madam. I am honoured to speak on the National Sports Governance Bill, 2025. Being the representative of the people of Vijayawada and the President of Andhra Cricket Association, it is with great pride that I support this important Bill. This landmark legislation, under the visionary leadership of our hon. Prime Minister Shri Narendra Modi ji and the dedicated efforts of our hon. Minister of Youth Affairs and Sports Shri Mansukh Mandaviya ji, will help India to move towards becoming a true sports nation. This Bill along with the new Khelo Bharat Niti 2025, is a bold and inclusive plan that aims to make sports a part of daily life, encourage sports start-ups, and promote participation from the grassroots, especially in villages, among women, and economically weaker sections. To build up on this momentum and create a future defined by transparency, fairness, and excellence, the National Sports Governance Bill, 2025, is a timely legislation. This Bill addresses long-standing issues that have affected Indian sports such as mismanagement and internal power struggles.

14.23 hrs

At this stage, Shri Shafi Parambil, Shri Akshay Yadav and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

A key feature of this Bill is the establishment of a National Sports Board. This institute will have the authority to recognize, monitor, and if necessary, suspend or cancel the recognition of sports federations. ? (*Interruptions*) They will ensure accountability by maintaining detailed records and investigating any misuse of public funds. The Bill also introduces a National Sports Election

Panel to guarantee free and fair elections in all sports bodies. These bodies will be required to adopt a strict Code of Ethics. ? (*Interruptions*) These steps will prevent undue influence, improve internal functioning, and protect the integrity of sports administration. Equally important is the focus on athlete protection and welfare. This Bill mandates a Safe Sports Policy ensuring the safety of women and minors. Every recognised sports body will be required to set up an internal grievance redressal system to address the concerns. ? (*Interruptions*)

One of the most progressive provisions in the Bill is the creation of a National Sports Tribunal headed by a former Supreme Court Judge and High Court judges. ? (*Interruptions*) This independent body will deal exclusively with sports-related issues. It will offer faster, more affordable, and expert resolution.

The BCCI is one such sporting body that is already following the principles mentioned in the Bill. I am proud to be a member of this organisation which stands as a strong example for other sporting bodies in the country. The BCCI runs independently, is financially self-sufficient, and operates through its own resources without Government support. By building necessary sports infrastructure, the BCCI has brought many talented cricketers from rural areas. It is appreciable that the Government, through this Bill, has exempted such self-sustaining sports federations from the purview of the RTI Act.

Under the visionary leadership of hon. CM, Shri N. Chandrababu Naidu, the Government is actively focusing on the development of sports. During his regime as a Chief Minister of united Andhra Pradesh, he provided stadiums and multiple training academies, and even hosted the Afro-Asian Games which made Hyderabad one of the sports hubs of India.

Presently, my State has announced one of the best sports policies in the country, under which there is a three per cent horizontal reservation in Government jobs for sportspersons. The Government offers one of the highest financial rewards in the country for national and international medallists.

In addition, our hon. Chief Minister has ambitious plans to develop a world-class sports city in Amaravati which will make Andhra Pradesh a national hub for sports by 2029. In addition to this important Sports Governance Bill, I would like to thank the hon. Prime Minister for the ?Khelo India Scheme?. I believe that under the Scheme, we should focus on Tier-II and Tier-III cities, where there

is immense untapped sports talent. For instance, my constituency of Vijayawada has proudly conducted several national tournaments and is also conducting tournaments. Therefore, I humbly request the Central Government to approve the proposal submitted under the ?Khelo India Scheme? in Tier-II and Tier-III cities.

Talking about grassroots and rural sports development, I would like to highlight the vision of our young, dynamic, and forward-thinking leader, Shri Nara Lokesh *Garu*, who is ensuring that every Government school has a playground and conducts annual sports events.

I conclude by urging this House to pass this Bill and give our youth the environment, resources, and opportunities they truly deserve. Let sports lead the way to a stronger, united, and healthier India.

श्री गणेश सिंह (सतना) : सभापति महोदया, मैं राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक, 2025 के समर्थन में यहां पर अपनी बात रख रहा हूँ। विपक्ष पूरी तरह से गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाकर संसद को लगातार बाधित करता आ रहा है। संवैधानिक संस्थाओं को ताक पर रखकर जिस तरह से अनैतिक रास्ते पर चलने का काम विपक्ष कर रहा है, उसकी मैं सबसे पहले कड़ी निंदा करता हूँ।

सभापति महोदया, मैं राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक, 2025 के समर्थन में अपने विचार व्यक्त कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं देश के विजनरी प्रधान मंत्री आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी जी का विशेष आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने वर्ष 2014 से लेकर अब तक दुनिया में भारत के खिलाड़ी आगे बढ़ सकें, उसके लिए नई खेल नीति के तहत ?खेलो इंडिया? और ?फिट इंडिया मूवमेंट? का संकल्प युवाओं को दिया है। आज उसी का परिणाम है कि इस ऐतिहासिक सदन में इस विधेयक पर चर्चा हो रही है। इस विधेयक के तहत सभी खेल निकायों को एक कानून के दायरे में लाया जा रहा है, जिससे खेल निकायों में व्याप्त अराजकता, जवाबदेही की कमी और प्रशासक असमानता को दूर कर एक सशक्त पारदर्शी और खिलाड़ियों के अनुकूल तंत्र स्थापित किया जा सके।

सभापति महोदया, मैं प्रधान मंत्री जी को एक बार और धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने वर्ष 2018 में देश का पहला खेल विश्वविद्यालय मणिपुर में स्थापित किया था, जिससे देश के खिलाड़ियों को एक बड़ी सौगात मिली थी। आज उसी का परिणाम है कि ओलम्पिक के हमारे बहुत से खिलाड़ी विश्व में अपने खेल का बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं।

सभापति महोदया, मैं विधेयक के प्रमुख सकारात्मक पहलुओं के बारे में अपनी बात आपके सामने रख रहा हूँ। पारदर्शी और उत्तरदायी खेल प्रशासन की दिशा में क्रांतिकारी कदम उठाए गए हैं, जैसे राष्ट्रीय खेल बोर्ड के गठन से सभी राष्ट्रीय खेल महासंघों को मान्यता मिलेगी और वित्तीय पारदर्शिता और कार्य प्रणाली के लिए एक केन्द्रीकृत स्वायत्त और

पेशेवर संस्थागत ढाँचा तैयार होगा। क्रिकेट सहित सभी खेल संघों की समान जवाबदेही सुनिश्चित करना ? बीसीसीआई जैसे शक्तिशाली निकायों को भी विधेयक के अंतर्गत लाकर शासन व्यवस्था में समानता का सिद्धांत स्थापित किया गया है।

खेल प्राधिकरण के माध्यम से शीघ्र विवाद समाधान, खिलाड़ियों, कोचों और संघों के बीच विवादों का निपटारा, त्वरित, निष्पक्ष और विशेषज्ञता आधारित तरीके से होगा। चुनाव पैनल की स्थापना द्वारा संघों के चुनाव में निष्पक्षता आएगी ।? (व्यवधान) खेल संघों के चुनाव जुटबाजी और वंशवाद से मुक्त होकर निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से संपन्न हो सकेंगे। खिलाड़ियों की सुरक्षा एवं कल्याण की दिशा में पहल, यौन उत्पीड़न, भेदभाव, मानसिक उत्पीड़न आदि को रोकने के लिए आचार संहिता जैसी व्यवस्थाएं इस विधेयक में शामिल की गयी हैं ।? (व्यवधान) आरटीआई के दायरे में लाकर सार्वजनिक जवाबदेही सुनिश्चित करना, संघों की कार्यवाही, वित्तीय खर्च और निर्णय लेने की प्रक्रिया अब सार्वजनिक जांच के दायरे में आएगी ।? (व्यवधान) अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार विधायी संरचना विधेयक को आईओसी और फीफा जैसे निकायों के मानकों से सामंजस्य रखते हुए तैयार किया गया है, जिससे भारत की वैश्विक साख को बढ़ावा मिलेगा ।? (व्यवधान) भारतीय खेल प्रणाली में संस्थागत सुधार, पारदर्शिता, जवाबदेही और प्रशासन की दिशा में एक ऐतिहासिक और युगांतकारी पहल है। यह विधेयक भारत को वैश्विक खेल मंच पर एक नैतिक, सक्षम और सशक्त नेतृत्व देने की नींव रखेगा ।? (व्यवधान)

इस विधेयक के माध्यम से राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन होगा, राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति का गठन होगा और राष्ट्रीय व क्षेत्रीय खेल महासंघ की पुनर्संरचना की जाएगी। ये सभी निकाय अपनी-अपनी अंतर्राष्ट्रीय खेल से संबंधित होंगे। यदि कोई टकराव की स्थिति बनती है, तो केंद्र सरकार स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करेगी ।? (व्यवधान) प्रत्येक निकाय में अधिकतम 15 सदस्यीय कार्यकारी समिति होगी, जिसमें कम-से-कम 2 खिलाड़ी प्रतिनिधि व 4 महिलाएं अनिवार्य होंगी। कार्यकारी समिति के सदस्यों की आयु सीमा 25 से 75 वर्ष तथा इनका कार्यकाल अधिकतम तीन बार का होगा। अध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्ष जैसे प्रमुख पदों पर केवल विशिष्ट खिलाड़ी या पूर्व पदाधिकारी ही नियुक्त किए जा सकेंगे, ऐसे प्रावधान इस विधेयक में किये गये हैं ।? (व्यवधान)

राष्ट्रीय खेल बोर्ड और एनएसएफएस को मान्यता देने, निलंबित करने, संचालन निगरानी, तथा धन के दुरुपयोग, खिलाड़ी कल्याण व प्रशासनिक शिकायतों की जांच का दायित्व अब राष्ट्रीय खेल बोर्ड को दिया जाएगा ।? (व्यवधान) आवश्यकता पड़ने पर यह बोर्ड एड-हॉक प्रशासनिक समिति का भी गठन कर सकती है। एनएसबी में अध्यक्ष सहित विभिन्न खेल व प्रशासनिक विशेषज्ञ होंगे, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा गठित चयन समति की सिफारिश पर नियुक्त किया जाएगा। यह बोर्ड मार्गदर्शक संस्था के रूप में कार्य करेगा, न कि पूर्ण नियंत्रक के रूप में ।? (व्यवधान)

राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण-खेल संबंधी विवादों के शीघ्र निपटारे हेतु एक स्वतंत्र न्यायाधिकरण की स्थापना की जाएगी। इसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश द्वारा की जाएगी ।? (व्यवधान) दो अन्य सदस्य खेल, कानून व प्रशासन के विशेषज्ञ होंगे। चयन समिति में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, विधि सचिव व खेल सचिव शामिल होंगे। यह न्यायाधिकारण चुनाव व चयन संबंधी विवाद, एनएसएफएस की आंतरिक प्रशासनिक समस्याओं के विवादों की सुनवाई करेगा। डोपिंग, अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों में आईओसी विवाद इसके अधिकार क्षेत्र से बाहर रहेंगे ।? (व्यवधान) न्यायाधिकारण

के दायरे वाले मामलों में सिविल कोर्ट का अधिकार नहीं होगा। अंतिम अपील सुप्रीम कोर्ट या अंतराष्ट्रीय निकायों मैं जैसा स्विट्जरलैंड में है, उस तरह की व्यवस्था की जाएगी।? (व्यवधान)

बीसीसीआई को एनएसबी से मान्यता लेनी होगी और आरटीआई कानून के तहत लाया जाएगा। इसके सभी प्रशासनिक व चयन संबंधी विवाद एनएसटी के अंतर्गत आएंगे। लोढ़ा समिति की कुछ सिफारिशें जैसे कार्यकाल आदि को भी शामिल किया गया है।? (व्यवधान)

माननीय सभापति महोदया, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान अपने लोक सभा क्षेत्र की ओर दिलाना चाहता हूं। वर्ष 2011 से मैंने ??सांसद खेल ट्रॉफी?? का आयोजन करना शुरू किया था, जिसके माध्यम से माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के सभी सांसदों को यह जिम्मेदारी सौंपी है। मैंने अपने लोक सभा क्षेत्र में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से विश्व स्तरीय स्पोर्ट्स कॉप्लेक्स और खेल स्टेडियम बनाये हैं। बड़ी संख्या में खिलाड़ी खेलने आते हैं, लेकिन प्रशिक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है।? (व्यवधान) मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि एक राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र मेरे संसदीय क्षेत्र, सतना में खोला जाए। मैं इस बिल का पुरजोर समर्थन करता हूं।? (व्यवधान)

डॉ. मनसुख मांडविया : सभापति महोदया, नेशनल स्पोर्ट्स बिल और नेशनल एंटी डोपिंग अमेंडमेंट बिल पर सम्माननीय दो सदस्यों श्री केसिनेनी शिवनाथ और गणेश सिंह जी ने अपनी बात रखी है। ? (व्यवधान) मैंने भी विस्तृत रूप से इस बिल से होने वाले फायदे और हमारे देश में स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाने में इसका क्या महत्व रहेगा, इस बारे में मैंने विस्तृत बयान दिया है।? (व्यवधान)

महोदया, यह बिल सिंगल बिगेस्ट रिफोर्म इन स्पोर्ट्स आफ्टर इंडिपेंडेंस होगा। इस बिल से स्पोर्ट्स को ग्राउण्ड से ग्लोरी तक ले जाने का सपना हमारे देश का है, जो साकार होगा।? (व्यवधान) इस बिल अकाउंटेबिलिटी और प्रोफेशनलिज्म पक्का होगा। इस बिल से हमारे देश की महिलाओं को ओपोर्च्यूनिटी मिलेगी। स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल से हमारे देश के एथलीट को न्याय मिलेगा। खेलों के क्षेत्र में अच्छा गवर्नेंस होगा। हमारे देश के स्पोर्ट्स इको सिस्टम में यह बिल बहुत महत्व और मायने रखेगा।? (व्यवधान)

इसी तरह से एंटी डोपिंग बिल भी बहुत महत्वपूर्ण बिल है। एंटी डोपिंग अमेंडमेंट बिल में जो वर्ल्ड डोपिंग एजेंसी है, उन्होंने दो-तीन रिफॉर्म्स सजेस्ट किए हैं।? (व्यवधान) उन रिफॉर्म्स के मुताबिक हमारा देश एंटी डोपिंग मूवमेंट को सपोर्ट करता है और पारदर्शिता और स्वायत्ता के साथ एंटी डोपिंग एजेंसी काम कर पाए।? (व्यवधान) इन दो विषयों पर हम अमेंडमेंट लाए हैं। इन दोनों अमेंडमेंट्स से एक अच्छी एंटी डोपिंग मूवमेंट को बढ़ावा मिलेगा। देश के एथलीट्स में यह अवेयरनेस का काम कर पाएगा। नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर हमारे देश के एथलीट्स को अच्छी ओपोरच्यूनिटी मिलेगी।? (व्यवधान)

महोदया, मैं चाहता था कि इस बिल पर डिटैल मे डिसक्शन हो, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण बिल है।? (व्यवधान) कांग्रेस के समय में केबिनेट तक पहुंचा हुआ बिल है। लेकिन दुर्भाग्य है कि स्पोर्ट्स का इतना महत्वपूर्ण बिल, आजादी के बाद

स्पोर्ट्स सेक्टर में बहुत महत्वपूर्ण रिफॉर्म के लिए है, लेकिन हमारे विपक्ष के साथी सहयोग नहीं कर रहे हैं ।? (व्यवधान) मैं कोई लंबा भाषण नहीं दूंगा, लेकिन मैं सभी सम्मानित सदस्यों से रिक्वैस्ट करता हूं कि सर्वानूमति से दोनों बिलों को पारित किया जाए ।? (व्यवधान)

माननीय सभापति : श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन ।

? (व्यवधान)

माननीय सभापति: प्रश्न यह है :

?कि खेलों के विकास और संवर्धन, खिलाड़ियों के लिए कल्याणकारी उपायों, सुशासन के बुनियादी सार्वभौमिक सिद्धांतों, ओलंपिक और खेल संचलन की नैतिकता और निष्पक्षता, ओलंपिक चार्टर, पैरालिंपिक चार्टर, अंतर्राष्ट्रीय सर्वोतम प्रथाओं और स्थापित विधिक मानकों का उपबंध करने और एक एकीकृत, साम्यपूर्ण और प्रभावी रीति से खेल शिकायतों और खेल विवादों के समाधान का उपबंध करने और उससे संबद्ध या उसके आनुषंगिक मामलों वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

? (व्यवधान)

माननीय सभापति: माननीय सदस्यगण, श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन जी, श्री पुष्पेंद्र सरोज, श्री अमरा राम, श्री बैन्नी बहनन और श्री डी.एन. कोरियाकोस ने संशोधन दिए हैं । क्या वे अपने-अपने संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं? नहीं! तो मैं माननीय मंत्री जी के संशोधन ही सभा के निर्णय के लिए लूंगी और खंडों को भी यथासंभव एक साथ ही सभा के निर्णय के लिए ले रही हूं ।

? (व्यवधान)

माननीय सभापति : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी ।

? (व्यवधान)

माननीय सभापति: प्रश्न यह है :

?कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बनें ।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गए ।

? (व्यवधान)

Clause 4 Compliance with certain

requirements by National Sports Bodies

Amendments made:

Page 5, *omit* lines 28 to 36. (24)

Page 5, line 37,-

For ?(*c*)?

Substitute ?(*b*)?. (25)

Page 5, line 39,-

For ?(*d*)?

Substitute ?(*c*)?. (26)

Page 5, line 40,-

For ?(*e*)?

Substitute ?(*d*)?. (27)

Page 6, line 1,-

for ?(*f*)?

substitute ?(*e*)?. (28)

Page 6, *after* line 2,-

Insert ?Provided that a person shall not be qualified to contest for election or seek nomination to the posts of the President or the Secretary General or the Treasurer, unless such person is a sportsperson of outstanding merit or, has previously served as a member for at least one full term in the Executive Committee of the National Sports Body or as the President, or the Secretary-General or the Treasurer in its affiliate unit:

Provided further that a person may continuously hold the position of either the President or the Secretary General or the Treasurer, as the case may be, for up to three consecutive terms separately, or in combination thereof and shall be eligible for election to such posts or to the Executive Committee after a mandatory cooling off period of one term.?. (29)

(Dr. Mansukh Mandaviya)

माननीय सभापति: प्रश्न यह है :

?कि खंड 4, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बनें। ?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 4, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 5 से 7 विधेयक में जोड़ दिए गए।

? (व्यवधान)

Clause 8 Board recognition and registration.

Amendments made:

Page 7, line 28,-

after ?1860?

insert ?or under the Societies Registration Act of a State?. (30)

Page 7, line 31,-

After ?1882?

Insert ?or under the Trusts Act of a State?. (31)

(Dr. Mansukh Mandaviya)

माननीय सभापति: प्रश्न यह है :

?कि खंड 8, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 8, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 9 से 13 विधेयक में जोड़ दिए गए।

? (व्यवधान)

Clause 14 Privileges of recognised sports organisations

Amendments made:

Page 10, line 30,-

For ?14.?

Substitute ?14. (*1*)?. (32)

Page 10, *after* line 31,-

insert ?(*2*) A recognised sports organisation, receiving grants or any other financial assistance from the Central Government under sub-section (*1*) or from a State Government, shall be considered as a public authority under the Right to Information Act, 2005, with respect to utilisation of such grants or any other financial assistance.? (33)

(Dr. Mansukh Mandaviya)

माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

?कि खंड 14, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 14, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 15 Duties of recognised sports organisations

Amendments made:

Page 10, line 32,-

For ?15 (*1*).?

substitute ?15.?. (34)

Page 10, *omit* lines 39 to 41. (35)

(Dr. Mansukh Mandaviya)

माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

?कि खंड 15, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने। ?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 15, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 16 से 38 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र, उद्देशिका और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

? (व्यवधान)

माननीय सभापति: माननीय मंत्री जी प्रस्ताव करें कि विधेयक, यथा संशोधित, पारित किया जाए।

डॉ. मनसुख मांडविया: मैं प्रस्ताव करता हूं:

?कि विधेयक, यथा संशोधित, पारित किया जाए।?

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

?कि विधेयक, यथा संशोधित, पारित किया जाए।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

? (व्यवधान)

माननीय सभापति: आइटम नम्बर-18.

प्रश्न यह है:

?कि राष्ट्रीय डोपिंग रोधी अधिनियम, 2022 का संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

? (व्यवधान)

माननीय सभापति: अब सभा विधेयक पर पर खंडवार विचार करेगी।

? (व्यवधान)

माननीय सभापति: माननीय सदस्य, श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन, एडवोकेट डीन कुरियाकोस, श्री बैन्नी बेहनन, श्री के. राधाकृष्णन, क्या आप अपना संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं या नहीं?

? (व्यवधान)

माननीय सभापति: मैं सभी खंडों को सभा के निर्णय के लिए एक साथ ले रही हूं।

? (व्यवधान)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

?कि खंड 2 से 22 विधेयक का अंग बनें।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 22 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

? (व्यवधान)

माननीय सभापति: माननीय मंत्री जी प्रस्ताव करें कि विधेयक पारित किया जाए।

डॉ. मनसुख मांडविया: मैं प्रस्ताव करता हूं:

?कि विधेयक पारित किया जाए।?

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

?कि विधेयक पारित किया जाए।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

? (व्यवधान)

माननीय सभापति : सभा की कार्यवाही चार बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

? (व्यवधान)

14.44 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Sixteen of the Clock.

16.00 hrs

The Lok Sabha re-assembled at Sixteen of the Clock

(Shrimati Sandhya Ray *in the Chair*)

? (व्यवधान)

16.0½ hrs

At this stage, Shri Abhay Kumar Sinha, Dr. Amar Singh, Shrimati Satabdi Roy Banerjee, Dr. T. Sumathy alias Thamizhachi Thangapandian and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

? (व्यवधान)

माननीय सभापति : आइटम नम्बर 18ए और 18बी लिए जाएंगे।

माननीय वित्त मंत्री जी।

? (व्यवधान)